UPHR010014052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.05728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–627/2026

मो०सूफियान पुत्र मो० नवी, निवासी रूदौली अधर्रा थाना सुरसा, जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार---------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–19.03.2026

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त मो० सूफियान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 37/2026, धारा 85, 80(2) बी०एन०एस० एवं 3/4 दहेज प्रति०अधि०, थाना सुरसा, जिला हरदोई में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार शकील का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा लालमीन द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि मैने अपनी बेटी शाहनाज की शादी वर्ष 2023 में सूफियान पुत्र स्व० नवी निवासी रूदौली थाना सुरसा जिला हरदोई के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरी बेटी को बराबर प्रताडित करते थे और धमकी देते थे। हरदोई में एक प्लाट और पांच लाख रूपये साथ में एक बुलेरो कार की मांग कर रहे थे। मेरी बेटी ने शाम को फोन से बात करके बताया कि मेरे जेठ रूबील, पति सूफियान व देवर इरफान पुत्रगण स्व० नवी बात कर रहे है कि इसे मार कर लटका दो, तो मैने बेटी से कहा की हम सुबह तुम्हारे यहां आयेगे तब बात करूंगा लेकिन रात में ही मुझे फोन से बताया गया कि अपनी बेटी की लाश ले जाओ। उपरोक्त सभी लोग मेरी बेटी को मार कर लटका दिया गया है।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया कि उसको उक्त मुकदमा में स्थानीय पार्टीबंदी एवं पारिवारिक रंजिश के कारण झूठा मुकदमा लिखाया है जबकि वह बिल्कुल निर्दोष है। उक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस की सलाह मशविरा से विपरीत समय पर लिखायी गयी है। उसके द्वारा कभी भी मृतका से कोई

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.19 17:03:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दहेज की मांग नहीं की गई और न ही प्रताड़ित किया गया। यदि उसके द्वारा दहेज की मांग अथवा प्रताड़ित किया जाता तो घटना से पूर्व अवश्य कोई शिकायत, पंचायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती जिससे भी प्रतीत होता है कि दहेज मांगने व प्रताड़ित करने की कोई बात नहीं थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी के बयान से स्पष्ट है कि 6.2.26 को सुबह के करीब 3.00 बजे वादी की दामाद सूफियान के छोटे भाई इरफान ने वादी को फोन से बताया था कि शाहनाज ने फांसी लगा ली है वह खत्म हो गई है। उसके भाई की सूचना पर ही वादी व उसके परिवार के लोग तथा रिश्तेदार मौके पर मौजूद आये तथा वादी व उसके परिजनों एवं उसके परिजनों की उपस्थिति में देखा गया कि शाहनाज की लाश ऊपर टंगी है तब सभी की उपस्थिति में पुलिस की सहायता से शाहनाज की लाश को नीचे उतारा गया और लाश का पंचायतनामा हुआ। मृतिका को प्रार्थी अथवा किसी ने मारपीट कर लटकाया नहीं है और न ही किसी प्रकार से प्रताडित किया है। उसकी पत्नी शाहनाज को, जो जेवर उसके पिता ने उपहार स्वरूप में दिया था। उसकी कीमत 2023 में 10 लाख रूपये थी। वह व उसकी पत्नी शाहनाज उसके साथ अपने परिवार वालों से अलग प्रेम पूर्वक रह रही थी तथा उसके व शाहनाज के संसर्ग से बड़े आपरेशन से करीब 6–7 माह पूर्व एक लड़का पैदा हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी शाहनाज व बेटे के इलाज में काफी खर्चा हुआ था। इसी दौरान उसके पिता को कैंसर की बीमारी हो गई और कैंसर की बीमारी के इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ तथा इसी मध्य 31.1.26 को उसके पिता का कैंसर के कारण देहान्त हो गया। शाहनाज बच्चा पैदा होने के दो माह बाद अपने मायके चली गयी थी। वहां उसने अपने पिता से कहा कि मेरे ससुर व मुझ पर व लड़के के इलाज में काफी रूपया खर्च हो गया है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है,जिस कारण शाहनाज ने अपने पिता से कई बार अपना रखा हुआ जेवर मांगा लेकिन शाहनाज के पिता ने जेवर देने से मना कर दिया। दिनांक 6.2.26 को फोन पर शाहनाज ने अपने पिता से कहा हमारे पति व घर वाले बहुत परेशान है घर में कुछ नहीं बचा है मैं अपने पति सूफियान को आपके पास भेजती हूँ और मेरे पति को मेरा सारा जेवर दे देना लेकिन फोन पर शाहनाज के पिता ने जेवर देने से साफ मना कर दिया जिस पर शाहनाज व उसके पिता के मध्य जेवर को लेकर काफी वाद–विवाद हुआ और शाहनाज के पिता ने शाहनाज से कहा तुम फांसी लगाकर मर जाओ लेकिन जेवर नहीं दूंगा। मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सकीय साक्ष्य में विरोधाभास है। उक्त मुकदमें में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है जो भी गवाह बनाए गये है वादिनी के सहयोगी व मेली मददगार हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट व विवेचक को दिये गये बयानों में काफी विरोधाभास है। वह जिला कारागार हरदोई में बंद है। उसके घर की स्थिति खराब देखकर उसके पिता वादी लालमीन द्वारा शाहनाज का जेवर हड़पने तथा फोन पर आत्महत्या करने को प्रेरित करने के कारण लालमीन की बातों से कुण्ठित होकर शाहनाज ने 6.2.26 की रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– प्रत्युत्तर में जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है तथा आवेदक/अभियुक्त ने अपने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर मृतका व वादी मुकदमा से अतिरिक्त

दहेज में हरदोई में एक प्लाट और पांच लाख रूपये की माँग की और दहेज की माँग को लेकर आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्त ने मिलकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर अस्वाभाविक रूप से फाँसी पर लटकने से हुई है। चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व फाँसी पर लटकने से उत्पन्न दम घुटने के कारण होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– मैंने आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

7– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त नामजद अभियुक्त है व मृतका का पति है। शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia and shock Due to antemortem Hanging दर्शित किया गया है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर आसामन्य परिस्थितियों में हुई है। मामला दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है, जो कि आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मो० सूफियान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः19.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।